

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 24-10-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 24 Oct, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 Syllabus : GS 2 : International Relations	अमेरिका ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए; आयात में कटौती करने के लिए तैयार भारतीय रिफाइनरियां
Syllabus : GS 3 : Science and Tech / Prelims	तीनों सेनाओं को 79,000 करोड़ रुपये में सिस्टम, प्लेटफॉर्म मिलेंगे
Syllabus : GS 2 : International Relations	भारत, भूटान ने सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन की समीक्षा की
Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims	अच्छा काम: कारखानों को खतरनाक नौकरियों में कार्यरत महिलाओं के लिए सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए
Syllabus : GS 3 : Environment	क्या भारत को जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक नेतृत्व लेना चाहिए?
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus : GS 2 : International Relations	अंतरराष्ट्रीय संगठनों की प्रतिरक्षा कोई मुफ्त पास नहीं है

अमेरिका ने यूक्रेन में क्रेमलिन के युद्ध के वित्तपोषण में उनकी भूमिका का हवाला देते हुए रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों, रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि भारत इस साल के अंत तक रूसी तेल आयात को काफी कम करने पर सहमत हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सहित भारतीय रिफाइनर, अब अमेरिकी प्रतिबंधों और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी तेल खरीद को फिर से व्यवस्थित करने की तैयारी कर रहे हैं, जो ऊर्जा कूटनीति, रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक आर्थिक दबावों के प्रतिच्छेदन को उजागर करते हैं।

U.S. sanctions Russian oil; Indian refineries poised to cut imports

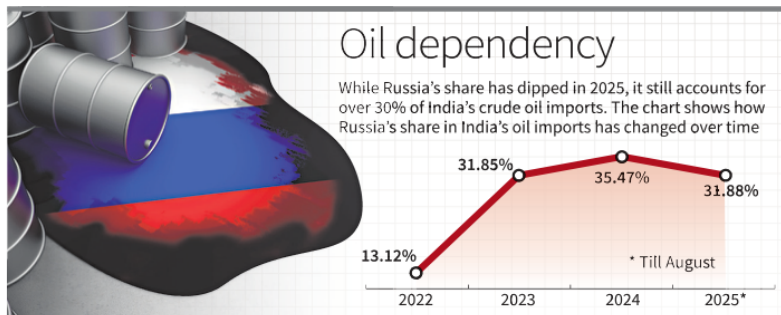
Rosneft and Lukoil hit with sanctions for 'funding Kremlin's war machine', pushing global oil prices up 3%; Trump says India will cut down imports to 'almost nothing' by the year-end; Indian firms are 'recalibrating' to align with new govt. guidelines

Reuters
WASHINGTON/NEW DELHI

U.S. President Donald Trump hit Russia's two biggest oil companies with sanctions in his latest policy shift on Moscow's war in Ukraine, prompting global oil prices to rise by 3% on Thursday.

Mr. Trump also reiterated his claim that India has agreed to "stop" buying oil from Russia and would bring its oil purchases down to "almost nothing" by the end of the year, and said he would persuade China to do the same. India and China are the two biggest buyers of Russian oil.

Indian refiners – including Reliance, the top Indian buyer of Russian crude – are poised to sharply curtail imports of Russian oil to comply with the new U.S. sanctions, industry sources said on Thursday.



India, as you know, has told me they are going to stop [buying Russian oil]... It's a process. You can't just stop... By the end of the year, they'll be down to almost nothing

DONALD TRUMP, U.S. President

The U.S. sanctions target oil giants Rosneft and Lukoil, which between them account for more than 5% of global oil output.

'Funding war'

The U.S. Treasury has given companies until November 21 to wind down their transactions with the

Russian oil producers.

"Given [Russian] President [Vladimir] Putin's refusal to end this senseless war, Treasury is sanctioning Russia's two largest oil companies that fund the Kremlin's war machine," U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said in a statement.

"We encourage our al-

lies to join us in and adhere to these sanctions."

Oil and gas revenue, currently down 21% year-on-year, accounts for a quarter of Russia's budget and is the most important source of funding for its war in Ukraine, now in its fourth year.

Mr. Trump expressed confidence regarding In-

dia's response to the sanctions. "India, as you know, has told me they are going to stop [buying Russian oil]... It's a process. You can't just stop... By the end of the year, they'll be down to almost nothing, almost 40% of the oil. India, they've been great. Spoke to Prime Minister [Narendra] Modi yesterday. They have been absolutely great," the U.S. President told the reporters at the White House on Wednesday.

Reliance Industries, which operates the world's biggest refining complex at Jamnagar in Gujarat, has a long-term deal to buy nearly 500,000 barrels per day of crude from Rosneft and also buys Russian oil from intermediaries.

It now plans to reduce or cease imports of Russian oil, including halting purchases under its deal with Rosneft, people familiar with the matter said.

समस्या अवलोकन

दृष्टिकोण	विस्तार
मुख्य चिंता	रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध और आयात में कटौती के लिए भारत पर दबाव, भारत की ऊर्जा रणनीति और अंतरराष्ट्रीय निर्देशों के अनुपालन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

दृष्टिकोण	विस्तार
भू-राजनीतिक संदर्भ	यूक्रेन युद्ध और वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता के बीच, अमेरिका रूस के लिए धन पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंधों का लाभ उठा रहा है, जबकि भारत और चीन को प्रभावित कर रहा है, जो रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदार हैं।
भारत का रुख	भारत का लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करते हुए नए दिशानिर्देशों के अनुपालन को संतुलित करना है। रिफाइनर आयात को "रीकैलिब्रेट" कर रहे हैं।
अमेरिकी स्टैंड	रूस पर आर्थिक रूप से दबाव डालने के लिए रोसनेफ्ट और लुकोइल को लक्षित करना; भारत और चीन पर रूसी तेल पर निर्भरता कम करने के लिए दबाव डाल रहा है।
अंतर्निहित मुद्दा	भू-राजनीतिक दबाव के बीच राष्ट्रीय हितों को संरक्षित करते हुए वैश्विक ऊर्जा कूटनीति का प्रबंधन करना।

मुख्य अवलोकन

- प्रतिबंधों का प्रभाव:** रोसनेफ्ट और लुकोइल को लक्षित करना, जो वैश्विक तेल का 5% से अधिक उत्पादन करते हैं, ने तुरंत कीमतों को 3% तक बढ़ा दिया।
- ऊर्जा सुरक्षा दबाव:** भारत, रूसी तेल पर बहुत अधिक निर्भर है (रिलायंस ~ 500,000 बैरल / दिन खरीदता है), वैकल्पिक आपूर्ति हासिल करने में चुनौतियों का सामना करता है।
- राजनयिक संकेत:** ट्रम्प की सार्वजनिक टिप्पणियां भारत के लिए दबाव और प्रशंसा के मिश्रण का सुझाव देती हैं, अनुपालन को एक सहयोगात्मक संकेत के रूप में तैयार करती हैं।
- कार्यान्वयन समयरेखा:** अमेरिकी ट्रेजरी ने कंपनियों को 21 नवंबर तक लेनदेन बंद करने के लिए अनिवार्य किया है, जो एक सख्त अनुपालन समय सीमा का संकेत देता है।
- वैश्विक बाजार की गतिशीलता:** रूसी तेल निर्यात में कटौती न केवल भारत बल्कि पूरे ऊर्जा बाजार को प्रभावित करती है, जो दुनिया भर में कीमतों और रणनीतिक ऊर्जा निर्णयों को प्रभावित करती है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
भारत-रूस ऊर्जा संबंध	रोसनेफ्ट के साथ भारत के दीर्घकालिक सौदे प्रभावित हुए हैं, जिसके लिए वैकल्पिक सोर्सिंग की आवश्यकता है।
भारत-अमेरिका सामरिक संबंध	अमेरिकी राजनयिक दबाव बनाम इसकी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ भारत के संरक्षण का परीक्षण करने वाले प्रतिबंध।
वैश्विक तेल बाजार	कीमतों में उतार-चढ़ाव भारत में आर्थिक योजना और मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है।
यूक्रेन युद्ध	रूस के युद्ध वित्त पोषण को सीमित करने में ऊर्जा प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
ऊर्जा कूटनीति	भारत का पुनर्गणना घरेलू ऊर्जा जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के बीच संतुलन को दर्शाता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **रणनीतिक स्वायत्तता बनाम अनुपालन:** भारत को एक रणनीतिक साझेदार, अमेरिका के दबाव के साथ रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता को समेटना होगा।
- **ऊर्जा बाजार का उत्तोलन:** अमेरिका भू-राजनीतिक परिदृश्य में प्रतिबंधों को नैतिक और आर्थिक उत्तोलन दोनों के रूप में उपयोग करता है।
- **घरेलू औद्योगिक निहितार्थ:** रिलायंस जैसी प्रमुख रिफाइनरियों को परिचालन समायोजन की आवश्यकता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला और मूल्य निर्धारण प्रभावित होंगे।
- **सार्वजनिक कूटनीति:** अमेरिका ने भारत को "सहकारी" के रूप में तैयार करना घरेलू और वैश्विक दोनों दर्शकों के लिए संकेत देता है, जबकि भारत संयमित संदेश बनाए रखता है।
- **ग्लोबल ऑप्टिक्स:** भारत की मापी गई प्रतिक्रिया स्वतंत्र नीति के साथ साझेदारी को संतुलित करते हुए, अधीनस्थ दिखने से बचने के लिए सावधानीपूर्वक संदेश को रेखांकित करती है।

समाधान और नीति महत्व

- **विविध ऊर्जा सोर्सिंग:** भारत को मध्य पूर्व, अफ्रीका या घरेलू स्रोतों से वैकल्पिक तेल आयात में तेजी लानी चाहिए।
- **रणनीतिक संचार:** नए दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए ऊर्जा खरीद में भारत की स्वायत्तता पर स्पष्ट संदेश बनाए रखें।
- **ऊर्जा दक्षता उपाय:** किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू रिफाइनरी दक्षता और वैकल्पिक ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना।
- **अमेरिका के साथ बातचीत:** रूसी तेल आयात को कम करने में समयसीमा और लचीलेपन को स्पष्ट करने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग करें।
- **बाजार स्थिरीकरण:** घरेलू ईंधन की कीमतों की निगरानी करें और प्रतिबंधों के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ बफर करें।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
भारत-अमेरिका सामरिक विश्वास	प्रतिबंधों का अनुपालन साझेदारी को मजबूत कर सकता है लेकिन बाहरी रूप से दबाव में दिखाई देने का जोखिम होता है।
ऊर्जा सुरक्षा	रूसी तेल आयात में तेजी से कमी से आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है और घरेलू लागत बढ़ सकती है।

दृष्टिकोण	निहितार्थ
व्यापार और औद्योगिक प्रभाव	रिफाइनरी संचालन, आयात और मूल्य निर्धारण रणनीतियों को अल्पकालिक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है।
वैश्विक कूटनीति	यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध व्यवस्था में भारत के रुख का संकेत।
सार्वजनिक धारणा	घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए संतुलित संदेश आवश्यक है।

आगे की चुनौतियाँ

- सख्त समयसीमा के तहत रूसी कच्चे तेल के आयात को कम करते हुए ऊर्जा सुरक्षा का प्रबंधन करना।
- वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों के आर्थिक प्रभाव को कम करना।
- अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ सहयोगी दिखाई देते हुए रणनीतिक स्वायत्तता को संरक्षित करना।
- रिफाइनरी संचालन और दीर्घकालिक अनुबंधों को नई सोर्सिंग वास्तविकताओं के लिए समायोजित करना।
- मिश्रित संकेतों से बचने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संदेश का समन्वय करना।
-

निष्कर्ष

रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंध उस नाजुक संतुलन को उजागर करते हैं जो भारत को रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक दबाव के बीच बनाए रखना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति ट्रम्प सार्वजनिक रूप से भारत को सहकारी के रूप में पेश करते हैं, परिचालन और भू-राजनीतिक वास्तविकताएं ऊर्जा आयात के सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन की मांग करती हैं। भारत की प्रतिक्रिया घरेलू ईंधन आपूर्ति और वैश्विक धारणा में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए ऊर्जा कूटनीति को नेविगेट करने, राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने और अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने की उसकी क्षमता का परीक्षण करेगी।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के निहितार्थ की जांच करें। (150 शब्द)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए लगभग 79,000 करोड़ रुपये के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन अधिग्रहणों का उद्देश्य 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करते हुए घातकता, गतिशीलता और खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमताओं को बढ़ाना है।

Tri-services to get systems, platforms for ₹79,000 cr.

The acquisitions are designed to enhance lethality, mobility and intelligence-gathering capabilities across the services; Defence Acquisition Council, chaired by Rajnath, approves the proposals

Saurabh Trivedi
NEW DELHI

The Defence Acquisition Council (DAC), chaired by Defence Minister Rajnath Singh, on Thursday approved a series of capital acquisition proposals worth around ₹79,000 crore aimed at strengthening the operational capabilities of the Army, Navy and Air Force.

The Defence Ministry said the approvals granted during a meeting at South Block would cover a wide spectrum of platforms and systems designed to enhance lethality, mobility, and intelligence-gathering capabilities across the Services.

For the Army, the DAC accorded Acceptance of Necessity (AoN) for the procurement of the Nag missile system (tracked) Mk-II (NAMIS), ground-based mobile ELINT System (GBMES), and high-mobility vehicles (HMs) with material handling cranes.

The NAMIS (Tracked) will bolster the Army's ability to destroy enemy armoured vehicles, bunkers,



The Anti Tank Guided Missile Nag Mk II being successfully tested from a light tank developed by the Defence Research and Development Organisation. PTI

and other fortified positions, while the GBMES will provide round-the-clock electronic intelligence on enemy emitters. The induction of HMs is expected to significantly enhance logistic support in challenging terrains.

For the Navy, the AoN was granted for the acquisition of landing platform docks (LPDs), 30 mm naval surface guns, advanced light weight torpedoes (ALWTs), electro-optical infrared search-and-track systems, and smart ammunition for 76 mm super rapid gun mounts.

The LPDs will augment the Navy's amphibious warfare capabilities and enable it to undertake joint operations with the Army and Air Force. They will also enhance India's capacity to conduct peacekeeping, humanitarian assistance, and disaster relief (HADR) missions. The indigenously developed ALWT by the DRDO's Naval Science and Technological Laboratory is capable of engaging conventional, nuclear, and midget submarines.

For the Indian Air Force, the AoN was accorded for

the collaborative long-range target saturation/destruction system (CLRTS/DS) and other related systems. The CLRTS/DS features autonomous take-off and landing, navigation, target detection and payload delivery capabilities, aimed at augmenting the IAF's long-range precision engagement capacity.

The approvals reflect the government's continuing emphasis on modernisation, self-reliance and indigenisation under the 'Aatmanirbhar Bharat' initiative, officials said.

समस्या अवलोकन

दृष्टिकोण	विस्तार
मुख्य चिंता	आधुनिकीकरण और स्वदेशी प्रणालियों के माध्यम से तीनों सेनाओं की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना।
भू-राजनीतिक संदर्भ	चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा तनाव और हिंद-प्रशांत के रणनीतिक महत्व सहित बढ़ती क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच, भारत अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
भारत का रुख	रक्षा निर्माण में स्वदेशीकरण, परिचालन तत्परता और आत्मनिर्भरता पर जोर।

दृष्टिकोण	विस्तार
अंतर्निहित मुद्दा	रणनीतिक स्वायत्तता, तकनीकी नवाचार और रक्षा तैयारियों के साथ क्षमता वृद्धि को संतुलित करना।

मुख्य अवलोकन

- **सेना का आधुनिकीकरण:** नाग एमके-॥ मिसाइल (ट्रैक) के अधिग्रहण से टैंक-रोधी क्षमता में वृद्धि; जीबीएमईएस इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस को मजबूत करता है; एचएमवी चुनौतीपूर्ण इलाकों में रसद में सुधार करते हैं।
- **नौसेना की क्षमताएं:** लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (एलपीडी) उभयचर संचालन को मजबूत करते हैं; 30 मिमी नौसैनिक बंदूकें और एलडब्ल्यूटी टॉरपीडो समुद्री हमले और पनडुब्बी रोधी युद्ध को बढ़ाते हैं; स्मार्ट गोला-बारूद और ईओ/आईआर सिस्टम लक्ष्यीकरण और निगरानी में सुधार करते हैं।
- **वायु सेना आधुनिकीकरण:** सीएलआरटीएस/डीएस लंबी दूरी की स्वायत्त लक्ष्य विनाश प्रदान करता है, जिससे सटीक संपर्क क्षमता को बढ़ावा मिलता है।
- **स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता:** एलडब्ल्यूटी और नाग एमके-॥ जैसी अधिकांश प्रणालियां डीआरडीओ द्वारा विकसित हैं, जो आत्मनिर्भर भारत के साथ संरेखित हैं।
- **संयुक्त अभियान और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत :** नौसेना और सेना के प्लेटफार्मों में वृद्धि एकीकृत संचालन और आपदा प्रतिक्रिया मिशनों को सक्षम बनाती है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
भारत का रक्षा आधुनिकीकरण	तीनों सेनाओं में युद्ध की तैयारी को मजबूत करना।
आत्मनिर्भर भारत	स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना।
इंडो-पैसिफिक सुरक्षा	चीन की क्षेत्रीय मुखरता के बीच भारत की समुद्री और हवाई क्षमताओं को बढ़ाया।
संयुक्त संचालन	थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच पारस्परिकता की सुविधा प्रदान करता है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास	डीआरडीओ की तकनीकी क्षमता और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **रणनीतिक स्वायत्तता:** स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने से विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होती है और परिचालन स्वतंत्रता बरकरार रहती है।
- **बल आधुनिकीकरण:** अधिग्रहण एंटी-टैंक, खुफिया, नौसैनिक हमले, उभयचर और लंबी दूरी के सटीक संचालन में क्षमता अंतराल को संबोधित करता है।
- **एकीकृत रक्षा दृष्टिकोण:** सेवाओं के बीच संयुक्तता पर जोर देता है, पारंपरिक और मानवीय संचालन में समन्वित प्रतिक्रिया में सुधार करता है।

- **भू-राजनीतिक संकेत:** क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच विश्वसनीय प्रतिरोध बनाए रखने के लिए भारत के संकल्प को प्रदर्शित करता है।
- **आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव:** आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू रक्षा विनिर्माण, रोजगार और प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा।

समाधान और नीति महत्व

- **लगातार आधुनिकीकरण रोडमैप:** परिचालन तत्परता बनाए रखने के लिए चरणबद्ध खरीद और प्रेरण सुनिश्चित करें।
- **अनुसंधान एवं विकास सहयोग:** स्थायी आत्मनिर्भरता के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना।
- **बल एकीकरण:** नए प्लेटफार्मों की अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के लिए नियमित संयुक्त अभ्यास।
- **संतुलित क्षमता निर्माण:** पारंपरिक युद्ध, साइबर/इलेक्ट्रॉनिक डोमेन और एचएडीआर संचालन को कवर करने वाली प्रणालियों का अधिग्रहण जारी रखें।
- **निर्यात क्षमता:** रणनीतिक और आर्थिक लाभ बढ़ाने के लिए रक्षा निर्यात के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रणालियों को बढ़ावा देना।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
राष्ट्रीय सुरक्षा	पारंपरिक और हाइब्रिड खतरों के खिलाफ निरोध को बढ़ाता है।
क्षेत्रीय स्थिरता	हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशिया में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है।
रक्षा अर्थव्यवस्था	घरेलू रक्षा उद्योग और तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना।
आपदा प्रतिक्रिया	एलपीडी और संयुक्त अभियानों के माध्यम से एचएडीआर क्षमताओं को बढ़ाया गया।
प्रौद्योगिकी विकास	स्वदेशी मिसाइल, टारपीडो और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों को आगे बढ़ाता है।

आगे की चुनौतियाँ

- परिचालन सेवा में प्रणालियों का समय पर समावेश और एकीकरण।
- अत्याधुनिक क्षमता सुनिश्चित करते हुए लागत-प्रभावशीलता बनाए रखना।
- वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास की गति को बनाए रखना।
- बहु-डोमेन प्लेटफार्मों की उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए अंतर-सेवा समन्वय।
- संवेदनशील प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निर्यात नियंत्रण का रणनीतिक प्रबंधन।

निष्कर्ष

डीएसी की स्वीकृतियाँ अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता बढ़ाने और संयुक्त परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकेत देती हैं। सेना, नौसेना और वायु सेना में उन्नत स्वदेशी प्लेटफार्मों को एकीकृत करके, भारत अपनी प्रतिरोध, रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाता है। हालांकि, इन अधिग्रहणों को

प्रभावी परिचालन क्षमता में बदलने के लिए खरीद, प्रेरण और अनुसंधान एवं विकास का सावधानीपूर्वक प्रबंधन आवश्यक होगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: हाल ही में भारतीय सेना के लिए अनुमोदित संक्षिप्त नाम GBMES का अर्थ है:

- a) ग्राउंड-बेस्ड मिसाइल एंगेजमेंट सिस्टम
- बी) ग्राउंड-आधारित मोबाइल ELINT सिस्टम
- c) गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली सिस्टम
- d) ग्राउंड-बेस्ड मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम

उत्तर:ख)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: उभरते क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों को संबोधित करते हुए 'आत्मनिर्भर भारत' नीति के तहत स्वदेशी रक्षा अनुसंधान एवं विकास पर भरोसा करने की चुनौतियों और निहितार्थों का मूल्यांकन करें।

Page 06 : GS 2 : International Relations / Prelims

भारत और भूटान ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन और क्षमता निर्माण उपायों की समीक्षा करने के लिए थिम्पू (16-17 अक्टूबर) में 14 वीं सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित की। यह बैठक एक सुरक्षित और स्थिर सीमा बनाए रखने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाती है।

समस्या अवलोकन

दृष्टिकोण	विस्तार
मुख्य चिंता	भारत-भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना।
भू-राजनीतिक संदर्भ	भारत सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश में भूटान के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चीन और पूर्वोत्तर सीमा से निकटता को देखते हुए यह क्षेत्र रणनीतिक महत्व रखता है।
भारत का रुख	एकीकृत चेक पोस्ट, सीमा पार आवाजाही प्रबंधन, मोबाइल सिग्नल स्पिलओवर और भूटान की पुलिस के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
भूटान का रुख	सीमा बुनियादी ढांचे, कानून प्रवर्तन क्षमता और सहयोगी सुरक्षा तंत्र को बढ़ाने की इच्छा।
अंतर्निहित मुद्दा	पारंपरिक और उभरती सुरक्षा चुनौतियों का प्रबंधन करते हुए संप्रभुता, क्षेत्रीय स्थिरता और लोगों से लोगों के बीच सहयोग को संतुलित करना।

India, Bhutan review security cooperation, border management

The Hindu Bureau
NEW DELHI

India and Bhutan reviewed border management and security in a meeting held at Thimphu from October 16-17, a statement by the Union Home Ministry said on Thursday.

The Ministry said the two countries had reviewed bilateral security cooperation and border management issues, including mobile signal spillover, future road map for integrated check posts, maintenance of boundary pillars, and cross-border movement.

Discussions covered capacity building for Bhutan's police. The delegations expressed satisfaction at the cordial and constructive discussions and reiterated their resolve to work together for a safe, secure and prosperous border, the Ministry said.

nistry said. This was the 14th India-Bhutan Border Management and Security meeting. The last meeting was held in 2019.

The Indian delegation was led by Rajendra Kumar, Secretary, Department of Border Management, Home Ministry, while the Bhutanese side was headed by Sonam Wangyel, Secretary, Ministry of Home Affairs.

India shares a 699-km border with Bhutan, running along the States of Sikkim, West Bengal, Assam and Arunachal Pradesh. "Reaffirming their strong friendship, India and Bhutan committed to deepening cooperation across traditional and emerging areas... Their enduring partnership, rooted in shared geography, culture, and people-to-people ties, continues to serve as a model for regional cooperation," the Ministry said.

मुख्य अवलोकन

- **सीमा प्रबंधन:** सीमा स्तंभों के रखरखाव और एकीकृत चेक पोस्ट की समीक्षा भौतिक और प्रशासनिक दोनों सीमा बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने का संकेत देती है।
- **सीमा पार सुरक्षा:** मोबाइल सिग्नल स्पिलओवर और समन्वित पुलिसिंग पर चर्चा आधुनिक सुरक्षा चिंताओं को दर्शाती है।
- **क्षमता निर्माण:** भारत पुलिस प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भूटान का समर्थन करता है।

- **सौहार्दपूर्ण संबंध:** यह बैठक भूगोल, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संबंधों में निहित दीर्घकालिक, मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देती है।
- **निरंतरता और संस्थागतकरण:** यह बैठक, 14वीं बैठक होने के नाते, 2019 से निरंतर संस्थागत जुड़ाव को प्रदर्शित करती है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
भारत-भूटान रणनीतिक साझेदारी	दीर्घकालिक सुरक्षा और राजनयिक सहयोग को मजबूत करता है।
सीमा अवसंरचना	क्षेत्रीय सुरक्षा और व्यापार सुविधा को बढ़ाता है।
क्षमता निर्माण	भूटान की आंतरिक सुरक्षा क्षमताओं का समर्थन करता है, आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है।
क्षेत्रीय सुरक्षा	चीन की निकटता के बीच पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में एक स्थिर कारक के रूप में कार्य करता है।
लोगों से लोगों के बीच संबंध	मजबूत द्विपक्षीय सद्भावना और स्थानीय सीमा सहयोग बनाए रखता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **रणनीतिक महत्व:** भारत की भागीदारी भूटान और व्यापक पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में अपने प्रभाव को मजबूत करती है, जिससे संभावित बाहरी दबावों का मुकाबला होता है।
- **सहयोगात्मक सुरक्षा मॉडल:** संयुक्त समीक्षा बैठकें उभरती सुरक्षा चुनौतियों के सक्रिय प्रबंधन के लिए एक मंच प्रदान करती हैं।
- **बुनियादी ढांचा और आधुनिकीकरण:** एकीकृत चेक पोस्ट और सीमा रखरखाव सीमा शासन को बढ़ाते हैं।
- **क्षेत्रीय स्थिरता:** भूटान के साथ सहयोग भारत की संवेदनशील पूर्वोत्तर सीमा पर एक स्थिर कारक के रूप में कार्य करता है।
- **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी:** क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता एक विश्वसनीय क्षेत्रीय भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित करती है।

समाधान और नीति महत्व

- **संस्थागत जुड़ाव:** उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए नियमित सीमा बैठकें।
- **तकनीकी उन्नयन:** दोनों देशों के लिए आधुनिक निगरानी, निगरानी और संचार उपकरण।
- **क्षमता विकास:** निरंतर पुलिस प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझा करना और संयुक्त अभ्यास।
- **एकीकृत सीमा प्रबंधन:** कुशल सीमा पार प्रवाह के लिए चेक पोस्ट, साइनेज और डिजिटल निगरानी को मजबूत करना।
- **जन-केंद्रित दृष्टिकोण:** यह सुनिश्चित करना कि सीमावर्ती समुदायों को बुनियादी ढांचे और सुरक्षा उपायों से लाभ हो।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
राष्ट्रीय सुरक्षा	रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 699 किलोमीटर की सीमा को सुरक्षित करता है।
द्विपक्षीय संबंध	भूटान के साथ विश्वास और सहयोग को मजबूत करता है।
क्षेत्रीय स्थिरता	पूर्वी हिमालय में स्थिरता में योगदान देता है।
सीमा शासन	आधुनिक बुनियादी ढांचा सुरक्षा बनाए रखते हुए व्यापार और गतिशीलता का समर्थन करता है।
मानवीय और सामाजिक प्रभाव	सीमावर्ती समुदायों के साथ सकारात्मक जुड़ाव स्थानीय विकास और शांति को मजबूत करता है।

आगे की चुनौतियाँ

- स्थानीय जनसंख्या की गतिशीलता और व्यापार के साथ सुरक्षा अनिवार्यताओं को संतुलित करना।
- पहाड़ी इलाकों में मोबाइल सिग्नल स्पिलओवर जैसी तकनीकी चुनौतियों का प्रबंधन।
- सीमा पर किसी भी उभरते खतरे से निपटना, जिसमें अंतरराष्ट्रीय अपराध भी शामिल है।
- संस्थागत स्मृति को बनाए रखना और समय-समय पर बैठकों से अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- नए बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण पहलों को कुशलतापूर्वक एकीकृत करना।

निष्कर्ष

भारत-भूटान सीमा प्रबंधन बैठक दोनों देशों के बीच स्थायी रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करती है। सीमा बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण और सीमा पार सुरक्षा सहयोग पर ध्यान केंद्रित करके, भारत और भूटान क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हैं और प्रभावी द्विपक्षीय जुड़ाव का मॉडल बनाते हैं। निरंतर संस्थागत सहयोग यह सुनिश्चित करता है कि दोनों देश एक संवेदनशील सीमा के साथ पारंपरिक और उभरती चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए तैयार रहें।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस प्रणाली को हाल ही में भारतीय सेना के लिए अनुमोदित किया गया था?

1. नाग एमके-11 मिसाइल प्रणाली
2. ग्राउंड-आधारित मोबाइल ELINT सिस्टम (GBMES)
3. हाई-मोबिलिटी वाहन (एचएमवी)
4. ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल

सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (a) 1, 2, 3 (b) केवल 1 और 4 (c) 2, 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी **उत्तर : a)**

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न। भारत-भूटान सुरक्षा सहयोग के संदर्भ में, विश्लेषण करें कि बुनियादी ढांचे का विकास, क्षमता निर्माण और सीमा पार प्रबंधन सॉफ्ट पावर और रणनीतिक प्रभाव के साधन के रूप में कैसे कार्य कर सकता है। (250 शब्द)

तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु कारखाना नियम, 1950 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिससे महिलाओं को लगभग 20 नौकरियों में रोजगार देने की अनुमति मिल सकती है, जिन्हें पहले खतरनाक या खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। गर्भवती महिलाओं और युवाओं पर रोक है, जबकि रात की पाली के लिए सहमति अब अनिवार्य है। यह कदम लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेशिता के उद्देश्य से वृद्धिशील सुधार को दर्शाता है।

समस्या अवलोकन

दृष्टिकोण	विस्तार
मुख्य चिंता	महिलाओं को खतरनाक औद्योगिक कार्य और रात की पाली से प्रतिबंधित करने वाली कानूनी बाधाएं।
सामाजिक-आर्थिक संदर्भ	पितृसत्तात्मक मानदंडों द्वारा प्रबलित लगातार लिंग-आधारित व्यावसायिक अलगाव; खतरनाक नौकरियों में महिलाओं की सीमित भागीदारी आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावित करती है।
भारत का रुख	प्रगतिशील श्रम नीति में बदलाव महिलाओं को सुरक्षा और सहमति सुनिश्चित करते हुए पहले से प्रतिबंधित भूमिकाओं में अनुमति देता है।
अंतर्निहित मुद्दा	लैंगिक समानता, व्यावसायिक सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों को संतुलित करना।

मुख्य अवलोकन

- **कानूनी सुधार:** महिलाएं अब ग्लास निर्माण, सीसा प्रसंस्करण, पेट्रोलियम, आतिशबाजी, कीटनाशक प्रबंधन और उच्च शोर संचालन जैसे उद्योगों में काम कर सकती हैं।
- **सहमति और सुरक्षा:** रात की पाली के लिए लिखित सहमति और गर्भवती महिलाओं को बाहर रखना सुरक्षा और स्वायत्तता सुनिश्चित करता है।
- **वृद्धिशील दृष्टिकोण:** संशोधन पहले के सुधारों पर आधारित हैं, जैसे रात की पाली की अनुमति देना, जो पितृसत्तात्मक प्रतिबंधों को धीरे-धीरे खत्म करने को दर्शाता है।
- **सुविधाओं की आवश्यकता:** कानून अलग शौचालयों, चेंजिंग रूम, चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षित परिवहन की आवश्यकता पर जोर देता है।
- **कार्यान्वयन चुनौतियाँ:** कारखानदारी प्रबंधन और श्रम अधिकारियों से सक्रिय निगरानी और निवेश प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण हैं।

Good job

Factories must provide facilities for women employed in hazardous jobs

Small, incremental steps are what set a fly-wheel in motion. As far as labour laws go, the Tamil Nadu government's proposal to allow women to be employed in about 20 operations listed as 'dangerous', and from which they were prohibited from being employed in so far, is progressive. The government has proposed amendments to the Tamil Nadu Factories Rules, 1950, to allow women to take up even jobs titled hazardous or dangerous, when these Rules come into practice; only pregnant women and young persons will be barred from these jobs. Earlier, the government had amended the Rules to allow women to be deployed on the night shift in factories, changing the historic practice of keeping them out. In this recent amendment, which was hosted in the public realm for feedback in September, factories are also required to get the woman's consent in writing for the night shift. These are changes that have come literally, rule by rule, but in effect, the government has shrugged off its patriarchal stance here, freeing up women from the perception that they are vulnerable and weak and will have to be protected by the State. The operations which are set to be opened for women include electrolytic process, glass manufacture, manufacture and treatment of lead, generation of gas and petroleum, blasting, liming and tanning of raw hides and skins, graphite powdering, manufacture of dichromates and carcinogenic dye intermediates, fireworks and match factories, manufacture of manganese, dangerous pesticides, use of benzene, and operations involving high noise and vibration levels.

Removing legal barriers is the first step toward implementing progressive measures that will facilitate more equitable workplaces. However crucial this first step is in rectifying age-old patriarchy-reinforced assigned gender roles in society and industry, it is not enough. This should be followed up by provision of adequate amenities and facilities for women, including separate toilets, changing rooms, and closed areas for conducting medical checks which are mandated for such industries, besides drop home facilities in places that have hitherto had no women workers at all. This will clearly require some investment, close involvement of the management, and at least initially, active monitoring by State labour authorities. The government must also take care to ensure that women who are in circumstances that might not enable their participation in these jobs are not forced into them, or penalised for not opting for these tasks. Without this being set in place, any progressive measure to dismantle the barriers that keep Indian society from being a more equitable job market will turn out to be a damp squib.

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
महिलाओं के श्रम अधिकार	लैंगिक समानता की संवैधानिक गारंटी के साथ संरेखित करता है (अनुच्छेद 14, 15, 21)।
व्यावसायिक सुरक्षा	महिलाओं के लिए खतरनाक उद्योगों में स्वास्थ्य खतरों को संबोधित करता है।
लिंग-समावेशी आर्थिक भागीदारी	पहले से पुरुष-प्रधान क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार करता है।
श्रम कानून सुधार	राज्य स्तरीय श्रम नियमों के आधुनिकीकरण का उदाहरण।
सामाजिक समानता	कार्यस्थल प्रथाओं में पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों को खत्म करने में मदद करता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **लैंगिक समानता:** कानूनी बाधाओं को दूर करने से महिलाओं की विविध रोजगार अवसरों तक पहुंच बढ़ती है।
- **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वायत्तता:** लिखित सहमति और कमजोर श्रेणियों का बहिष्करण अधिकारों को कम किए बिना सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **वृद्धिशील नीति दृष्टिकोण:** छोटे, चरणबद्ध सुधार जड़ें जमाए हुए सामाजिक-सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को चुनौती देने में प्रभावी हैं।
- **आर्थिक सशक्तिकरण:** उच्च-भुगतान या रणनीतिक औद्योगिक क्षेत्रों में महिलाओं का अधिक समावेश उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाता है।
- **राज्य की जिम्मेदारी:** नीति को वास्तविक कार्यस्थल समानता में अनुवाद करने के लिए सक्रिय निगरानी, निवेश और क्षमता-निर्माण की आवश्यकता होती है।

समाधान और नीति महत्व

- **पर्याप्त सुविधाएं:** कारखानों को शौचालय, चेंजिंग रूम, चिकित्सा जांच क्षेत्र और परिवहन सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।
- **निगरानी तंत्र:** राज्य श्रम अधिकारियों को सक्रिय रूप से अनुपालन की निगरानी करने की आवश्यकता है।
- **स्वैच्छिक भागीदारी:** सुनिश्चित करें कि महिलाओं को मजबूर नहीं किया जाए और उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की स्वतंत्रता हो।
- **जागरूकता और प्रशिक्षण:** लिंग-संवेदनशील कार्यस्थल नीतियों के बारे में प्रबंधन और कार्यबल को शिक्षित करें।
- **क्रमिक विस्तार:** देश भर में स्केलिंग करने से पहले चुनिंदा उद्योगों में पायलट कार्यान्वयन का उपयोग करें।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
महिला सशक्तिकरण	औद्योगिक रोजगार में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है।
सामाजिक सुधार	पितृसत्तात्मक मानदंडों और व्यावसायिक लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देता है।

दृष्टिकोण	निहितार्थ
श्रम बाजार समावेशिता	खतरनाक क्षेत्रों में कुशल कार्यबल का विस्तार करता है।
आर्थिक विकास	कार्यबल की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने से औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा मिल सकता है।
व्यावसायिक स्वास्थ्य	सुरक्षित सुविधाएं महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम को कम करती हैं।

आगे की चुनौतियाँ

- सभी कारखानों, विशेष रूप से छोटे पैमाने की इकाइयों में अनुपालन सुनिश्चित करना।
- खतरनाक कार्यस्थलों में आवश्यक बुनियादी ढांचा और निवेश प्रदान करना।
- काम तक पहुंच बढ़ाने के साथ सुरक्षा को संतुलित करना।
- वास्तविक कार्यस्थल इकटिरी के बिना टोकनवादी समावेशन से बचना।
- खतरनाक भूमिकाओं में महिलाओं के खिलाफ सामाजिक प्रतिरोध या पारंपरिक पूर्वाग्रहों का प्रबंधन करना।

निष्कर्ष

तमिलनाडु संशोधन लिंग-समावेशी श्रम नीतियों, पितृसत्तात्मक प्रतिबंधों को खत्म करने और खतरनाक उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी को सक्षम करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सफलता पर्याप्त बुनियादी ढांचे, निगरानी, स्वैच्छिक भागीदारी और सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर करती है। यह नीति सुरक्षा, समानता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए व्यावसायिक लिंग प्रतिबंधों में सुधार करने के लिए अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न : 2025 में प्रस्तावित तमिलनाडु कारखाना नियम संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. महिलाओं को खतरनाक नौकरियों जैसे सीसा प्रसंस्करण, आतिशबाजी और कीटनाशक प्रबंधन में काम करने की अनुमति है।
2. गर्भवती महिलाओं और युवाओं को खतरनाक नौकरियों से वंचित रखा गया है।
3. कारखानों को रात की पाली के लिए महिला श्रमिकों की लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: घ)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: औद्योगिक कार्यस्थलों में लिंग-समावेशी श्रम सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक चुनौतियों और नीतिगत उपायों की जांच करें। (150 शब्द)

ब्राजील में सीओपी30 से पहले, भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को अद्यतन करने और एक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना पेश करने की स्थिति में है। विकसित देशों द्वारा नेतृत्व लेने में अनिच्छा दिखाने के साथ, इस बात पर बहस चल रही है कि क्या भारत को जलवायु कार्रवाई में अधिक प्रमुख वैश्विक भूमिका निभानी चाहिए। चर्चा शमन, अनुकूलन, वित्त और जलवायु नीति में विकास और रणनीतिक हितों के एकीकरण पर केंद्रित है।

Should India take global leadership on climate change?

PARLEY

Hisham Mundol
Chief Adviser,
India,
Environmental
Defense Fund

Ulka Kelkar
Executive
Program
Director -
Climate,
Economics and
Finance,
WRI India

Ahead of Conference of the Parties (COP30) in November in Belém, Brazil, global headlines have left many developed countries in the West increasingly reluctant to take on the mantle of climate leadership. India, like other countries, is expected to update climate commitments and present an adaptation plan. Should India take global leadership on climate change? Hisham Mundol and Ulka Kelkar discuss the question in a conversation moderated by Jacob Koshy. Edited excerpts:

This seems to be a very unusual lead-up to a COP. The U.S. has withdrawn from the Paris Agreement, the European Union is reluctant to assume leadership on climate, and Brazil, which is hosting COP30, appears only to be stressing on implementation. Are we heading towards a washout?

Hisham Mundol: I am by nature a 'glass half full' person. Before most COPs, there is often a lack of direction. We live in particularly turbulent geopolitical times and I imagine we may not get sweeping new outcomes like we did in 2015, with the Paris Agreement. Despite the U.S.'s exit (from the Paris Agreement), I see the emergence of an 'Axis of Good' – a number of countries working with one another consistently on climate change. We're seeing Europeans and Indians working on climate technology. I wouldn't be surprised if Brazil and India work on areas where there is common ground, such as forests. India has never been the most glamorous player on international climate negotiations, but it has something far more valuable than glamour, and that is a steady hand. Climate change is not a politically divisive issue in India. We have made commitments and are working towards them. Finally, an 'implementation COP' may not sound ambitious but it we manage to implement the promises already made, that would be real progress.

Ulka Kelkar: First, I expect that this COP will emphasise the need for finance for climate adaptation and not just for (mitigation) actions where there is already private sector revenue. So, not just finance for solar power or electric vehicles, but also for adaptation to potential climate impacts in sectors such as agriculture and water resources.

Second, the emphasis on implementation means that developing countries like ours need to create a pipeline of projects that we can invest in – not just sectors but specific projects.

And third, this big number of \$1.3 trillion (an

A man rides a motorcycle along the solar panels in Gujarat Solar Park in Patan district, Gujarat. REUTERS

India has never been the most glamorous player on international climate negotiations, but it has something far more valuable than glamour, and that is a steady hand.

HISHAM MUNDOL

involved, as we had earlier discussed. How do we ensure that countries don't get stuck in a blame game, and instead evolve creative solutions regarding funding adaptations?

HM: International cooperation has worked best when driven not by largesse but by individual, national, strategic, and security interests. When the world responded to HIV-AIDS, it was because it realised that if large parts of sub-Saharan Africa were going to be ravaged by the epidemic, it would cause unrest. The cost of a security intervention is dramatically more than a developmental intervention. China is not building a green economy because it loves the environment, but because it realises that that this is the future. Big industrial conglomerates in India, such as the Adani Group and Reliance Group, are investing as much as they are in green energy because they see that there is shareholder value to be created. Consider carbon pricing: many countries are looking at establishing some form of carbon market (where individual reductions in carbon emissions can be traded for profit).

UK: Often, I think that the scale of the challenge for India is not always understood in the West and sometimes the opportunity that that scale offers is also not fully appreciated. So, one thing that has come out in the news recently is that for the first time, emissions from India's power sector have actually stopped growing because there is so much more renewable energy now in the electricity system. If you look at model projections for the future, you will see that even decades into the future, despite being a growing economy where houses have to be built, manufacturing jobs have to be created, and power has to be supplied for a variety of applications from transport to cooking, India's power sector emissions are actually not projected to grow. So, there is a kind of decoupling that has already happened between energy and emissions. The scale of this is not really always appreciated by those in the West.

On the adaptation side, the scale really matters. Innovative aggregated solutions, such as the PM-KUSUM scheme, which uses solar energy in the agriculture sector, or electric buses for public transport, can drive down costs

and make services and public goods cheaper.

Second, we really need to actively look for projects where there are both adaptation and mitigation benefits. For example, projects that would not only help counter the impacts of heat or flood risks but also bring down emissions. An example would be cold-chain storage systems in agriculture that are solar powered.

Ahead of COP30, India, like other countries, is expected to submit updated Nationally Determined Contributions (NDCs). India is also expected to submit a National Adaptation Plan (NAP). According to you, how should these look?

HM: India already has an ambitious target of drawing 50% of its electricity mix from non-fossil sources by 2030. A lot of progress has happened on this front: renewables account for about half of the country's installed power capacity. Since green hydrogen production relies on renewable energy, explicitly codifying this link, such as by recognising renewable energy for green hydrogen, would be a good move. Even if such a move is incremental in terms of national commitments, incorporating it into the NDCs would send a signal of intent.

UK: The biggest source of greenhouse gas emissions is industry. This is a hard-to-abate sector because a lot of emissions come not from the use of energy where you can switch the fuel, but from process emissions. Unless you have a different way of making cement or a different way of making steel, it is going to be very difficult to change those process emissions. So, it might be time to consider as a long-term signal, some kind of new NDC target for the industry sector. It can mean bringing in more electrification, which itself can come from renewable or cleaner sources.

Second, we can look at ways of prioritising certain projects. Sometime ago, India had come up a list of projects where it would be willing to participate in the international carbon market. It said, for example, we don't want to sell credits based on just solar; we would like to consider solar plus storage (by using batteries). So why not have a wish list of priority projects like that for adaptation as well, which could, of course, be modified by each State in the country? And with that, indicate certain types of models where finance can be 'blended' (partly funded by private and public sector)?

समस्या अवलोकन

दृष्टिकोण	विस्तार
मुख्य चिंता	विकसित देशों की घटती प्रतिबद्धताओं के बीच वैश्विक जलवायु नेतृत्व में भारत की संभावित भूमिका।
भू-राजनीतिक संदर्भ	COP30 पेरिस समझौते से अमेरिका की वापसी, यूरोपीय संघ की झिझक और ब्राजील द्वारा कार्यान्वयन पर जोर देने के संदर्भ में होता है; भारत बढ़ते उत्सर्जन और नवीकरणीय क्षमता के साथ एक प्रमुख विकासशील देश है।
भारत का रुख	नवीकरणीय ऊर्जा में लगातार प्रगति, गैर-जीवाश्म बिजली के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य (2030 तक 50%), हरित हाइड्रोजन पर जोर और चल रहे अनुकूलन उपाय।
अंतर्निहित मुद्दा	अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ घरेलू विकास की जरूरतों को संतुलित करना; शमन और अनुकूलन के लिए वित्त और प्रौद्योगिकी को सुरक्षित करना।

मुख्य अवलोकन

- **जलवायु नेतृत्व वैक्यूम:** विकसित देशों की अनिच्छा भारत को "स्थिर हाथ" और विश्वसनीय कार्यान्वयन दिखाने का अवसर प्रदान कर सकती है।
- **शमन प्रयास:** नवीकरणीय ऊर्जा अब स्थापित क्षमता का ~50% है; उत्सर्जन से बिजली क्षेत्र की वृद्धि को अलग करना।
- **अनुकूलन फोकस:** कृषि, जल संसाधन और जलवायु-लचीले बुनियादी ढांचे के लिए वित्त महत्वपूर्ण है। पीएम-कुसुम (कृषि में सौर) जैसे कार्यक्रम दोहरे शमन-अनुकूलन लाभ प्रदर्शित करते हैं।
- **वित्त और कार्यान्वयन:** जलवायु वित्त (2035 तक ~\$1.3 ट्रिलियन सालाना) के लिए सार्वजनिक, निजी, बहुपक्षीय और परोपकारी स्रोतों को शामिल करते हुए मिश्रित तंत्र की आवश्यकता होती है।
- **औद्योगिक उत्सर्जन:** हार्ड-टू-एबेट क्षेत्रों (सीमेंट, स्टील) को नवीन दृष्टिकोण और संभावित दीर्घकालिक एनडीसी लक्ष्यों की आवश्यकता होती है।
- **रणनीतिक और सुरक्षा हित:** जलवायु कार्रवाई राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं, औद्योगिक विकास और आर्थिक अवसरों (उदाहरण के लिए, बड़े समूहों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा निवेश) के अनुरूप है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
भारत की एनडीसी प्रतिबद्धताएं	अद्यतन एनडीसी और राष्ट्रीय अनुकूलन योजना सीओपी30 में प्रस्तुत की जाएगी।
नवीकरणीय ऊर्जा विकास	उत्सर्जन को कम करने के लिए सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन का विस्तार।
जलवायु वित्त	शमन और अनुकूलन के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संसाधनों को जुटाना।
औद्योगिक उत्सर्जन प्रबंधन	दीर्घकालिक कार्बन कटौती के लिए कठिन-से-कम क्षेत्रों को लक्षित करना।
वैश्विक जलवायु शासन	भारत कार्यान्वयन-केंद्रित सीओपी परिणामों को आकार देने में नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **वैश्विक नेतृत्व क्षमता:** भारत की विश्वसनीयता लगातार घरेलू कार्यान्वयन, रणनीतिक स्वायत्तता और बढ़ती नवीकरणीय क्षमता से उपजी है।
- **कार्यान्वयन सीओपी:** "कार्यान्वयन के साधनों" (वित्त, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण) पर ध्यान केंद्रित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्सर्जन लक्ष्य।
- **दोहरे लाभ वाली परियोजनाएं:** शमन और अनुकूलन (जैसे, सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड चेन) के संयोजन वाले कार्यक्रम लागत-प्रभावशीलता और मापनीयता को बढ़ाते हैं।
- **रणनीतिक संरेखण:** जलवायु कार्रवाई राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ प्रतिच्छेद करती है।
- **नवाचारों का वित्तपोषण:** मिश्रित वित्त, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और कार्बन बाजार अनुकूलन और शमन निवेश दोनों में तेजी ला सकते हैं।

समाधान और नीति महत्व

- **अद्यतन एनडीसी और एनएपी:** हरित हाइड्रोजन, औद्योगिक विद्युतीकरण और प्राथमिकता अनुकूलन परियोजनाओं जैसे वृद्धिशील लक्ष्यों को शामिल करें।
- **परियोजना पाइपलाइन:** अंतरराष्ट्रीय और घरेलू निवेश के लिए क्षेत्रीय और राज्य-स्तरीय परियोजना सूची बनाएं।
- **जलवायु वित्त जुटाना:** निजी निवेश, बहुपक्षीय विकास बैंकों और परोपकारी स्रोतों का लाभ उठाएं।
- **प्रौद्योगिकी और कौशल विकास:** कम कार्बन वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को बढ़ावा देना।
- **रणनीतिक संकेतन:** विकास प्राथमिकताओं को संतुलित करते हुए वैश्विक जलवायु नेतृत्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
राष्ट्रीय विकास	जलवायु कार्रवाई को औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और कृषि के साथ एकीकृत करता है।
अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता	वैश्विक जलवायु वार्ता में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करता है।
ऊर्जा संक्रमण	नवीकरणीय और कम कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाता है।
जलवायु लचीलापन	कृषि, जल प्रबंधन और शहरी प्रणालियों में अनुकूलन में सुधार करता है।
वित्त एवं निवेश	हरित वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बाजार निर्माण के रास्ते खोलता है।

आगे की चुनौतियाँ

- उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के साथ विकास की अनिवार्यताओं को संतुलित करना।
- वैश्विक और घरेलू स्रोतों से पर्याप्त जलवायु वित्त जुटाना।
- हार्ड-टू-एबेट क्षेत्रों में शमन को लागू करना।
- राज्यों और क्षेत्रों में अनुकूलन और शमन का समन्वय करना।
- राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना अंतरराष्ट्रीय अपेक्षाओं का प्रबंधन करना।

निष्कर्ष

भारत के पास स्थिर घरेलू कार्यान्वयन, नवीन अनुकूलन-वित्त मॉडल और रणनीतिक औद्योगिक नीतियों के संयोजन द्वारा जलवायु नेतृत्व प्रदर्शित करने का अवसर है। मापने योग्य एनडीसी, दोहरे लाभ वाली परियोजनाओं और मिश्रित वित्त तंत्र पर ध्यान केंद्रित करके, भारत अपने राष्ट्रीय विकास और ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए सीओपी30 में सार्थक योगदान दे सकता है। विकसित देशों में अनिश्चितता के बीच रणनीतिक जुड़ाव वैश्विक जलवायु शासन में भारत की विश्वसनीयता को भी मजबूत करता है।

Immunity of international organisations is no free pass

International cooperation between countries often leads to the creation of international organisations (IOs) to administer the treaties that states sign and ratify. These IOs, or Intergovernmental Organisations, may operate at the multilateral level, such as the United Nations (UN), or at the regional level, such as the South Asian Association for Regional Cooperation.

While the existence of these IOs is a fact of life, a question of contemporary relevance that has not attracted much attention is whether IOs are subject to the jurisdiction of the domestic courts of the host state where they are based, or whether they enjoy immunity from such jurisdiction. This question is particularly relevant for India as it is home to a number of IOs.

The immunities that different IOs enjoy differ. An IO's immunity is to be determined through a careful reading of the treaty establishing the IO, the headquarters agreement (an agreement between the IO and the host state), and the domestic legislation, if any, that created the IO. The theoretical basis for an IO's immunity from the jurisdiction of the host state's domestic courts is based on the 'functional necessity' thesis.

Accordingly, immunity to IOs is crucial to ensure that they can perform their functions smoothly. While this is generally true, the functional necessity thesis, as international lawyers such as Jan Klabbbers point out, is not without its problems. For instance, what happens when an IO abuses its powers by acting in an arbitrary or discriminatory fashion? Can the IO still hide under the cloak of immunity in the name of functionality?

Judicial practice of other countries

In numerous countries, a typical case that their national courts have handled is whether they have jurisdiction to hear employment disputes between a staff member and the IO. In all such disputes, IOs have claimed immunity from the court's jurisdiction. If an IO wishes to claim



Prabhush Ranjan

is Professor and Vice Dean (Research), Jindal Global Law School

The issue acquires relevance as India is home to a number of international organisations

immunity from domestic courts for employment disputes, it should provide an alternative mechanism to its staff to settle disputes that they may have with the organisation. The International Court of Justice, as early as 1954, in the *Effect of Awards Case*, upheld the creation of the United Nations Administrative Tribunal, a body created by the UN, for the purpose of providing an orderly judicial mechanism to settle staff disputes.

Traditionally, courts in several jurisdictions have dismissed claims brought by staff members against an IO on the principle of functional immunity. However, more recently, as international lawyer August Reinisch demonstrates, national courts have begun to assess the 'human rights impact' of their immunity decisions. The critical question is whether the court's denial of jurisdiction to hear a claim brought against an IO by a staff member will render the petitioner without remedies. If yes, it would constitute a denial of justice.

Alternative remedy

Arguably, if an IO provides for an alternative dispute settlement mechanism for its staff members, the domestic court should deny jurisdiction, upholding the IO's immunity. However, a mere theoretical possibility of an alternative dispute settlement is not enough. As the Italian Supreme Court held in *Drago vs International Plant Genetic Resources Institute*, the alternative remedy should be an independent and impartial judicial remedy to settle staff disputes.

Likewise, a Belgian court in *Siedler vs Western European Union* abjured the IO's immunity because the alternative remedy did not promise a fair trial. In *Banque africaine de développement vs Degboe*, a French court rejected the immunity argument of the because no alternative remedy existed. The bank had created an alternative remedy after the petitioner's dismissal, which the

petitioner could not access. In short, what courts worldwide are increasingly assessing is not just the availability of the IOs' alternative dispute settlement but also its adequacy, judged by the principles of natural justice. To better understand this point, let us assume that the domestic legislation creating the IO or the headquarters agreement between the IO and the host state provides for arbitration as an alternative method to resolve employment-related disputes. Will this be sufficient for the IO to claim immunity from the domestic court's jurisdiction? The answer is no. The theoretical availability of arbitration is a starting point.

Vital questions

The key question is about what steps the IO has taken to effectively implement this alternative remedy. For example, has the IO established a precise mechanism for conducting arbitration to address employment disputes within its rules, regulations and by-laws? Has it appointed a panel of independent arbitrators? Has the IO been affiliated with any arbitral institution and adopted its rules? Moreover, has it expressly waived its immunity regarding the supervisory jurisdiction of domestic courts in the arbitration of employment disputes? If not, arbitration will not be an effective remedy.

In other words, has the IO taken steps to ensure that this alternative remedy provides reasonable and effective access to a dispute settlement mechanism that is fair for the adjudication of employment disputes? If the answer is no, the IO cannot reasonably claim immunity in employment disputes before domestic courts.

In sum, the immunity of IOs should be respected. Nonetheless, immunity should not become a licence for an IO to abuse public power, leading to grave injustice.

The views expressed are personal

GS. Paper 2- - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

UPSC Mains Practice Question:: अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रतिरक्षा और मानवाधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के बीच तनाव की जांच करें। वैश्विक न्यायिक अभ्यास के उदाहरणों के साथ उदाहरण दें। (150 शब्द)

संदर्भ:

संधियों और अंतर-सरकारी सहयोग के माध्यम से बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओ) अक्सर सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए अपने मेजबान राज्यों की घरेलू अदालतों से प्रतिरक्षा का आनंद लेते हैं। हालांकि, इस तरह की प्रतिरक्षा की सीमा और सीमाएं, विशेष रूप से कर्मचारियों के विवाद या शक्ति के दुरुपयोग के मामलों में, भारत के लिए समकालीन प्रासंगिक हैं, जो कई आईओ की मेजबानी करता है। लेख इस बात पर जोर देता है कि प्रतिरक्षा मनमानी या न्याय से इनकार करने की ढाल नहीं बननी चाहिए।

समस्या अवलोकन

दृष्टिकोण	विस्तार
मुख्य चिंता	घरेलू अदालत के अधिकार क्षेत्र से आईओ की प्रतिरक्षा के दायरे और सीमाओं का निर्धारण, विशेष रूप से रोजगार विवादों में।
भू-राजनीतिक संदर्भ	भारत क्षेत्रीय और वैश्विक आईओ (जैसे सार्क और संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों) की मेजबानी करता है, अंतरराष्ट्रीय कानून और घरेलू न्यायशास्त्र में जवाबदेही के साथ कार्यात्मक प्रतिरक्षा को संतुलित करना महत्वपूर्ण है।
भारत का रुख	भारत को संधियों और मुख्यालय समझौतों के तहत आईओ प्रतिरक्षा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जहां वैकल्पिक उपचार अपर्याप्त हैं, वहां न्याय तक घरेलू पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।
अंतर्निहित मुद्दा	आईओ की प्रतिरक्षा को प्राकृतिक न्याय, मानवाधिकारों और प्रभावी विवाद समाधान के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

मुख्य अवलोकन

- **कार्यात्मक आवश्यकता थीसिस:** आईओ प्रतिरक्षा इस विचार पर आधारित है कि यह मेजबान राज्यों के हस्तक्षेप के बिना अपने मुख्य कार्यों को करने के लिए आवश्यक है।
- **प्रतिरक्षा के लिए चुनौतियां:** IO द्वारा मनमाने ढंग से कार्य या दुरुपयोग (जैसे, भेदभावपूर्ण रोजगार प्रथाएं) पूर्ण प्रतिरक्षा को समस्याग्रस्त बना सकते हैं।
- **विश्व स्तर पर न्यायिक अभ्यास:** इटली, बेल्जियम और फ्रांस की अदालतों ने यह आकलन किया है कि प्रतिरक्षा को बनाए रखने से पहले कर्मचारियों के विवादों के लिए वैकल्पिक उपचार प्रभावी हैं या नहीं। उचित कार्यान्वयन के बिना केवल सैद्धांतिक तंत्र (जैसे मध्यस्थता) अपर्याप्त हैं।
- **मानवाधिकार लेंस:** राष्ट्रीय अदालतें न्याय के संभावित इनकार के खिलाफ उपायों की पर्याप्तता को तेजी से तौलती हैं।
- **वैकल्पिक विवाद तंत्र:** प्रभावी प्रतिरक्षा के लिए आंतरिक विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुलभ तंत्र की आवश्यकता होती है।

स्थैतिक और वर्तमान लिंकेज

स्थैतिक विषय	वर्तमान प्रासंगिकता
अंतरराष्ट्रीय कानून और अन्य संगठन	प्रतिरक्षा और जवाबदेही के लिए कानूनी ढांचे को परिभाषित करता है।
मानवाधिकार और न्याय तक पहुंच	आईओ द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
घरेलू क्षेत्राधिकार	भारत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ संधि दायित्वों को संतुलित करना।
रोजगार कानून	IO स्टाफ विवाद उपचार तंत्र में अंतराल को उजागर करते हैं।
वैश्विक शासन	अंतरराष्ट्रीय संगठनों की पारदर्शिता और वैधता को बढ़ाता है।

विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य

- **प्रतिरक्षा और जवाबदेही को संतुलित करना:** प्रतिरक्षा को परिचालन स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए लेकिन गलत कार्यों के निवारण को नहीं रोकना चाहिए।
- **कानून का शासन:** यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय अभिनेता भी न्यायिक जांच के अधीन हैं जहां आंतरिक उपचार अपर्याप्त हैं।
- **भारत का रणनीतिक विचार:** आईओ की मेजबानी के लिए स्पष्ट ढांचे की आवश्यकता होती है जो अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और घरेलू कानूनी सिद्धांतों दोनों का सम्मान करते हैं।
- **न्यायिक मिसाल:** ड्रैगो बनाम इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और सीडलर बनाम पश्चिमी यूरोपीय संघ जैसे मामले प्रभावी विवाद समाधान तंत्र पर अदालतों के आग्रह को दर्शाते हैं।
- **प्राकृतिक न्याय सिद्धांत:** प्रतिरक्षा रोजगार और प्रशासनिक विवादों में निष्पक्षता और निष्पक्ष निर्णय को ओवरराइड नहीं कर सकती है।

समाधान और नीति महत्व

- **स्पष्ट रूपरेखा:** आईओ को प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित और कार्यान्वित करना चाहिए।
- **विधायी दिशानिर्देश:** भारत यह सुनिश्चित करने के लिए मेजबान-राज्य नियम निर्धारित कर सकता है कि IO प्रतिरक्षा न्याय तक पहुंच के साथ संरेखित हो।
- **निगरानी और जवाबदेही:** निष्पक्षता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईओ शिकायत तंत्र का नियमित मूल्यांकन।
- **जागरूकता और प्रशिक्षण:** स्टाफ सदस्यों को उनके अधिकारों और विवाद समाधान मार्गों के बारे में सूचित करें।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** IO स्वायत्तता को कम किए बिना वैकल्पिक उपचारों के लिए स्पष्ट प्रावधानों को शामिल करने के लिए संधियों को प्रोत्साहित करना।

रणनीतिक और सामाजिक निहितार्थ

दृष्टिकोण	निहितार्थ
कानून का राज	यह सुनिश्चित करता है कि IO मेजबान राज्यों में दण्ड से मुक्ति के साथ कार्य नहीं कर सकते।
मानवाधिकार	आईओ के कर्मचारियों को न्याय से इनकार करने से बचाता है।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा	IO की विश्वसनीयता और वैधता को बनाए रखता है।
घरेलू कानूनी निरीक्षण	संप्रभुता और संधि दायित्वों को संतुलित करके वैश्विक शासन में भारत की भूमिका को मजबूत करता है।
परिचालन अखंडता	प्रभावी विवाद तंत्र आईओ की कार्यात्मक वैधता को सुदृढ़ करते हैं।

आगे की चुनौतियाँ

- यह सुनिश्चित करना कि वैकल्पिक उपचार वास्तव में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी हैं।
- घरेलू कानूनी अधिकारों के संरक्षण के साथ भारत के संधि दायित्वों को संतुलित करना।
- अंतरराष्ट्रीय कार्यात्मक प्रतिरक्षा और घरेलू मानवाधिकार मानदंडों के बीच संघर्ष से बचना।
- आईओ के आंतरिक विवाद तंत्र के प्रवर्तन और निगरानी में अंतराल को संबोधित करना।
- प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और अधिकारों के बारे में आईओ और कर्मचारियों को शिक्षित करना।

निष्कर्ष

जबकि सुचारू कामकाज के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की प्रतिरक्षा आवश्यक है, यह दुरुपयोग या न्याय से इनकार के खिलाफ एक कंबल ढाल के रूप में काम नहीं कर सकती है। एक मेजबान देश के रूप में भारत को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को बनाए रखना चाहिए, जबकि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईओ कर्मचारियों और अन्य प्रभावित पक्षों की निष्पक्ष और प्रभावी विवाद समाधान तंत्र तक पहुंच हो। इसलिए, प्रतिरक्षा एक जिम्मेदारी है, फ्री पास नहीं।